L. A. BILL No. XXII OF 2023.

A BILL

to create an effective, single window system for delivery of services related to issuing of permissions required for establishing and operating industries ; to enhance state's competitiveness on trade and investments ; to develop an ecosystem to ensure Ease of Doing Business including grievance redressal mechanism in the state ; and to develop and maintain a portal for providing all necessary information required for investment in the state of Maharashtra and for the matters connected therewith or incidental thereto.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक २२ सन् २०२३।

महाराष्ट्र राज्य में उद्योगों की स्थापना करने और चलाने के लिए आवश्यक अनुज्ञप्तियों को जारी करने से संबंधित सेवाओं के वितरण के लिए, व्यापार और निवेशन पर राज्यों की प्रतियोगितात्मकता को बढ़ावा देने, राज्य में शिकायत प्रतितोष यंत्रणा समेत कारोबार करना सुलभ करने की सुनिश्चिती करने के लिए कोई पारिस्थितिक तंत्र विकसित करने ; और महाराष्ट्र राज्य में निवेशन के लिए सभी आवश्यक जानकारी देने के लिए पोर्टल विकसित करने तथा चलाने के लिए एक प्रभावी एकल

खिडकी प्रणाली सृजित करने और चलाने के लिए तथा तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों के ऐसे उपबंध करने संबंधी विधेयक ।

क्योंकि महाराष्ट्र राज्य में उद्योगों की स्थापना करने और चलाने के लिए आवश्यक अनुज्ञप्तियों को जारी करने से संबंधित सेवाओं के वितरण के लिए, व्यापार और निवेशन पर राज्यों की प्रतियोगितात्मकता को बढ़ावा देने, राज्य में शिकायत प्रतितोष यंत्रणा समेत कारोबार करना सुलभ से करने की सुनिश्चिति करने के लिए कोई पारिस्थितिक तंत्र विकसित करने ; और महाराष्ट्र राज्य में निवेशन के लिए सभी आवश्यक जानकारी देने के लिए एक पोर्टल विकसित करने तथा चलाने के लिए एक प्रभावी एकल खिडकी प्रणाली सृजित करने और चलाने के लिए तथा तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने के लिए एक नवीन विधि बनाना इष्टकर है ;

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नही चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हे इसमें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, एक विधि बनाने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; **और इसलिए,** महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार और निवेशन सरलीकरण अध्यादेश, २०२३, ३ जुलाई २०२३ को प्रख्यापित किया गया था ;

और क्योंकि, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार और निवेशन सरलीकरण अधिनियम, २०२३ कहलाए।

(२) यह ३ जुलाई २०२३ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएँ।

२. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न हों—

(क) " सक्षम प्राधिकारी " का तात्पर्य, औद्योगिक उपक्रमों को उपयोगी सुविधाओं का उपबंध करनेवाले किसी अधिकारी या प्राधिकरण समेत राज्य में औद्योगिक उपक्रमों को प्रतिनिष्ठित करने या चलाने के लिए सांविधिक अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए सक्षम होनेवाले सरकार के किसी विभाग या अभिकरण, स्थानीय प्राधिकरण, राज्य स्वामित्व निगम या किसी अधिनियम या नियमों या सरकार के प्रशासकीय नियंत्रण में गठित या स्थापित कोई अन्य प्राधिकरण या अभिकरण के अधीन कोई अधिकारी या प्राधिकरण, से है ;

(ख) " सशक्त समिति " का तात्पर्य, धारा ६ के अधीन सशक्त की गई गठित समिति सें है ;

(ग) " उद्यमी " का तात्पर्य, किसी औद्योगिक उपक्रमों में अधिकांश निवेशन या नियंत्रक हित होनेवाली एक व्यक्ति, व्यक्तियों का निकाय या कंपनी, से है ;

(घ) " सरकार " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार, से है ;

(ड.) " औद्योगिक उपक्रम " का तात्पर्य, राज्य सरकार द्वारा जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए, विनिर्माण या प्रक्रिया या दोनों में सेवा मुहैय्या करने या कोई अन्य कारोबार या वाणिज्यिक क्रियाकलापों को चलाने में व्यस्त कोई उपक्रम, से है ;

(च) " निवेक्षक " का तात्पर्य, कोई व्यक्ति जो आय या लाभ की सुरक्षा के आशय के साथ विस्तारशील, आधुनिकिकरण या विविधताओं के लिए किसी नए औद्योगिक उपक्रमों में या किसी विद्यमान औद्योगिक उपक्रमों में, राज्य में पूँजी निवेश करता है, से है ;

(छ) " नोडल अभिकरण " का तात्पर्य, धारा १४ के अधीन घोषित नोडल अभिकरण, से है ;

(ज) " अनुमति " का तात्पर्य, राज्य में किसी औद्योगिक उपक्रम को प्रतिष्ठित करने या प्रचालन करने के संबंध में किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी अनुमोदन, अनापत्ति प्रमाणपत्र, निकासी, आबंटन, सहमति, रजिस्ट्रीकरण, नामांकन, अनुज्ञप्ति और उसी तरह की प्रक्रिया करने और किसी सुसंगत विधि के अधीन जैसे आवश्यक है सभी ऐसी अनुमतियाँ शामिल है ;

(झ) " विहित " का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित से है ;

(ञ) " सुसंगत विधि " का तात्पर्य, कोई अधिनियम, नियम, विनियम या कोई अन्य सांविधिक लिखत जो राज्य में औद्योगिक उपक्रमों को प्रतिष्ठित करने या प्रचालन करने के लिए सुसंगत है ;

(ट) " सचिव " का तात्पर्य, सरकार के प्रधान सचिव या अप्पर मुख्य सचिव शामिल है ;

(ठ) " एक खिडकी प्रणाली " का तात्पर्य, किसी औद्योगिक उपक्रम द्वारा आवश्यक अनुमतियों के आवेदन प्रस्तुत करने और प्रक्रिया के लिए होनेवाली एकल खिडकी राज्य-सत्र वेब ऑनलाईन पोर्टल या प्लॅटफार्म, से है ;

सन् २०१५ का महा. ३१। (ड) " विनिर्दिष्ट समय सीमा " का तात्पर्य, महाराष्ट्र लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम, २०१५ या किसी अन्य सुसंगत विधि के अधीन विनिर्दिष्ट समय सीमा जिसके भीतर अनुमतियों के लिए के आवेदन पर प्रक्रिया करने और उसका निपटान करना अनिवार्य है, से है ;

(ढ) " राज्य " का तात्पर्य, महाराष्ट्र राज्य से है ;

(ण) " पर्यवेक्षण समिति " का तात्पर्य, धारा १० के अधीन गठित पर्यवेक्षण समिति, से है ।

३. (१) राज्य में नया औद्योगिक उपक्रमों को प्रतिष्ठित करने या किसी विद्यमान औद्योगिक उपक्रमों को निरंतर चलाना चाहनेवाले उद्यमी या निवेशक या कोई उद्यमी या निवेशक द्वारा सम्यक प्राधिकृत कोई व्यक्ति, जिसे राज्य सरकार **राजपत्र** में विनिर्दिष्ट कर सके सुसंगत विधि के अधीन उसके लिए आवश्यक ऐसी अनुमतियाँ प्राप्त करने के लिए, एकल खिडकी प्रणाली के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक प्ररुप में कोई आवेदन कर सकेगा । आवेदन दाखिल करना।

(२) उप-धारा (१) के अधिन का कोई ऐसा आवेदन, जैसा कि विहित किया जाए ऐसी प्रक्रिया फीस के साथ होगा ।

४. (१) एकल खिडकी प्रणाली के जरिए धारा ३ की उप-धारा (१) के अधीन किए गए किसी आवेदन की प्राप्ति पर, सक्षम प्राधिकारी सुसंगत विधि के उपबंधों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करेगा । आवेदनों का निपटान।

(२) सक्षम प्राधिकारी, विनिर्दिष्ठ समय सीमा के भीतर ऐसे आवेदन का निपटान करने के लिये, यदि आवश्यक है, आवेदक से अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकेगा ।

(३) सक्षम प्राधिकारी, विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर ऐसे आवेदन पर विनिर्णय लेगा । यदि ऐसा आवेदन अस्वीकृत किया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी, ऐसी अस्वीकृति के कारणों को विनिर्दिष्ठ करेगा ।

५. सुसंगत विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सक्षम प्राधिकारी, विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर किसी आवेदन का निपटान करने में असफल होता है, तब नोडल अभिकरण, ऐसा आवेदन, सुसंगत विधि के अधीन आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सशक्त समिति को अंतरित करेगा । आवेदन का अंतरण।

परंतु, वे आवेदन, जिसके लिए सुसंगत विधि के अधीन आवेदन का निपटान करने के लिए राज्य सरकार के अधीन, सक्षम प्राधिकारी को शक्तियाँ प्रदत्त की गई है केवल वही आवेदन सशक्त समिति को अंतरित किए जायेंगे ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन सशक्त समिति को आवेदन अंतरित करने पर सक्षम प्राधिकारी की सुसंगत विधि के अधीन ऐसे आवेदन पर कार्यवाही करने के लिए होनेवाली शक्तियाँ परिविरत हो जायेगी ।

(३) सशक्त समिति, सुसंगत विधि के उपबंधों के अनुसार ऐसे आवेदन का निपटान करेगी ।

६. (१) सशक्त समिति, अध्यक्ष के रूप में महाराष्ट्र सरकार के विकास आयुक्त (उद्योग) तथा जैसा कि विहित किया जाए ऐसे अन्य सदस्यों से गठित होगी । सशक्त समिति का गठन।

(२) सशक्त समिति की जैसा कि विहित किया जाए ऐसे समय पर तथा ऐसे स्थान पर बैठक होगी तथा उसके कारोबार के संव्यवहार करने की ऐसी प्रक्रिया अपनाई जायेगी ।

७. सशक्त समिति को निम्न शक्तियाँ होगी, अर्थात् :— सशक्त समिति की शक्तियाँ।

(क) जहाँ सक्षम प्राधिकारी, विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर ऐसे आवेदन पर की जानेवाली प्रक्रिया करने या निपटान करने में असफल होता है के मामले में, किसी सुसंगत विधि के अधीन अनुमति के लिए आवेदन पर विचार करना तथा उसका निपटान करना ;

(ख) सशक्त समिति की बैठक में सहभागी होने के लिए जिसे वह आवश्यक समझें, किसी अधिकारी या विशेषज्ञ को निर्मंत्रित करना ;

(ग) आवेदन का निपटान करने में विलंब होने के कारणों या अस्वीकृती के कारण पूछ सकेगा तथा आवश्यक जानकारी के लिए बुला सकेगा और संबंधित सक्षम प्राधिकारी के व्यक्तिगत प्रकटन आवश्यक कर सकेगा ।

(घ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदनो के निपटान करने में होनेवाले विलंब के कारणों की जाँच करने या आवेदक द्वारा बढती शिकायतों की जाँच करने के लिए किसी अधिकारी की नियुक्ति करना ;

(ड.) जैसा कि विहित किया जाए ऐसी अन्य शक्तियाँ ।

सशक्त समिति के कृत्य।

८. (१) सशक्त समिति, निम्न कृत्यों का निर्वहन करेगी, अर्थात् :—

(क) नोडल अभिकरणों के कार्य का पर्यवेक्षण करना और इस अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उसे आवश्यक निदेशन जारी करना ;

(ख) एकल खिडकी प्रणाली के कृत्यों का पर्यवेक्षण करना और समय-समय से सभी आवेदनों के स्थिति का पुनर्विलोकन करना ;

(ग) विनिर्दिष्ट समय-सीमा के बाद विलंबित सभी आवेदनों का पुनर्विलोकन करना तथा उनके निपटान के लिए समुचित आदेश पारित करना ;

(घ) एकल खिडकी प्रणाली के प्रभावी कार्यन्वयन के लिए अपेक्षित मार्गदर्शक तत्वों और प्रचालन प्रक्रिया के मानक विरचित करना ;

(ड.) सरकारी सेवाओं के और एकल खिडकी प्रणाली से उनका एकीकरण के ऑनलाईन सामर्थ्य के लिए संबंधित विभागों और प्राधिकरणों को निदेशन देना ;

(च) कारोबार की सुलभता की सुनिश्चिति करने के लिए तथा राज्य में निवेशन को बढावा देने के लिए जैसे वे समुचित समझे ऐसी निरीक्षणात्मक समिति को नीति सुझावित करना ;

(छ) आवेदकों द्वारा बढती सभी शिकायतों का ग्रहण करना और यदि आवश्यक पाए जाए, संबंधित सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट मँगना ;

(ज) जैसा कि विहित किया जाए ऐसे अन्य कृत्य करना ।

(२) सशक्त समिति, इस अध्यादेश के अधीन उनके क्रियाकलापों के बाबत उनका तिमाही रिपोर्ट निरीक्षणात्मक समिति को प्रस्तुत करेगी ।

सशक्त समिति के निर्णय बाध्यकारी होना।

९. किसी सुसंगत विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सशक्त समिति के विनिर्णय आवेदक प्राधिकरण और सभी अन्य संबंधित व्यक्तियों पर बाध्यकारी होगें ।

पर्यवेक्षी समिति का गठन।

१०. (१) पर्यवेक्षी समिति, अध्यक्ष के रूप में उद्योग सचिव तथा जैसा कि विहित किया जाए ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी ।

(२) पर्यवेक्षी समिति की बैठक जैसा कि विहित किया जाए ऐसे समय पर और ऐसे स्थान पर बुलाई जायेगी तथा उसके कारोबार के संव्यवहार करने की ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी ।

पर्यवेक्षी समिति की शक्तियाँ।

११. पर्यवेक्षी समिति को निम्न शक्तियाँ होंगी, अर्थात् :—

(क) सशक्त समिति द्वारा निर्देशित प्रस्तावों का परीक्षण करना और उसपर विनिर्णय लेना ;

(ख) पर्यवेक्षी समिति के बैठकों में हिस्सा लेने के लिए, जिसे वह आवश्यक समझे, किसी अधिकारी या विशेषज्ञ को निमंत्रित करना ।

(ग) जैसा कि विहित किया जाए ऐसी अन्य शक्तियाँ देना ।

पर्यवेक्षी समिति के कृत्य।

१२. पर्यवेक्षी समिति निम्न कृत्यों का निर्वहन करेगी, अर्थात् :—

(क) राज्य में कारोबार को सुलभता से चलाने से संबंधित किसी मुद्दों पर सशक्त समिति को निदेशित देना ;

(ख) संबंधित प्राधिकारियों को, जिसे वह समुचित समझे, सुझावों की नीति बनाना ;

(ग) जहाँ सक्षम प्राधिकारी, विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर आवेदन का निपटान करने असफल होता है या पर्याप्त कारण के बिना आवेदन अस्वीकृत करता है तो, सशक्त समिति द्वारा उसे निर्देशित मामलों में उसके समाधान पर विभाग के संबंधित अनुशासन प्राधिकारी को अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश करना ;

(घ) जैसा कि विहित किया जाए ऐसे अन्य कृत्य करना ।

१३. किसी सुसंगत विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पर्यवेक्षी समिति के निर्णय आवेदकों, प्राधिकरणों और सभी अन्य संबंधित व्यक्तियों पर बाध्यकारी होंगे । पर्यवेक्षी समिति के निर्णय बाध्यकारी होना।

१४. (१) महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार और निवेशन सरलीकरण कक्ष (मैत्री) इस अध्यादेश के प्रयोजनों के लिए महाराष्ट्र में एकल खिडकी प्रणाली के लिए नोडल अभिकरण होगा । नोडल अभिकरण।

(२) नोडल अभिकरण समय-समय पर जैसा कि आवश्यक हो ऐसे सूचना तकनीकी (आयटी), विधि वित्त, अर्थशास्त्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञों को या किसी अन्य विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकेगा या उनसे सहायता ले सकेगा ।

१५. (१) सशक्त समिति के अधीक्षण, निदेशिन और नियंत्रण के अध्यधीन, नोडल अभिकरण, निम्न कृत्य करेगा :— नोडल अभिकरण के कृत्य।

(क) राज्य में निवेशन उन्नयन के लिए तथा कारोबार या औद्योगिक उपक्रम प्रतिष्ठापित करने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगमन से समन्वयन में कृत्य करना ;

(ख) राज्य में कारोबार या औद्योगिक उपक्रम प्रतिष्ठित करने के लिए मार्गदर्शन करना तथा सहायता करना ;

(ग) जहाँ संबंधित सक्षम प्राधिकारी, विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर आवेदनों पर विचार करने तथा उसका निपटान करने में असफल होता है तो उद्यमियों या निवेशकों का आवेदन सशक्त समिति के समक्ष, उनके विनिर्णय के लिए रखना ;

(घ) आवदेनों की स्थिति का मानिटरिंग करना और सशक्त समिति, के सक्षम आवेदनों की स्थिति की रिपोर्ट रखना ;

(ङ) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या उनकी सांविधिक और अन्य निकायों से निकासी प्राप्त करने में उद्यमी या निवेशक को सहायता करना ;

(च) उद्यमियों या निवेशकों के आवेदन के लिए मैत्रि के साथ वेबसाईट के एकीकरण और एकल खिडकी प्रणाली के सूचारू कार्य करने के लिए जैसा कि आवश्यक किया जाए, कोई ऐसे आधार के लिए विभिन्न सक्षम प्राधिकरणों के साथ समन्वयन करना ;

(छ) नए निवेशन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों और प्रचालन प्रक्रिया के मानक प्रारूपित करना और समय-समय से पूर्नविलोकन करना तथा उन्हें उपांतरित करना ;

(ज) उद्यमियों या निवेशकों द्वारा बढते प्रश्नों का जवाब देना ;

(झ) औद्योगिक प्रगति के लिए नीति विनिर्मिती में आवश्यक सहायता देना ;

(ञ) पर्यावरण स्नेहशिल और प्रौद्योगिकी समर्थकारी निर्माण पद्धति को बढावा देना ;

(ट) एकल खिडकी प्रणाली के जरिए आवेदन करने के लिए आवेदन प्ररूप या संयुक्त आवेदन प्रारूप या सार्वजनिक आवेदन प्रारूप तैयार करना तथा जारी करना ;

(ठ) कारोबार करने में सरलीकरण लाने के उद्देश्य से उपयोगकर्ता की प्रतिपुष्ठि पर आधारित राज्य में औद्योगिक उपक्रम की स्थापना करना और उनके परिचालन के लिए विनियामक, सुधार प्रस्तावित करना, सुकरता लाना या परिचय कराना ;

(ड) आवेदन प्ररूपों को पूरा करने में उद्यमियों या निवेशकों को सहायता करना ;

(ढ) जैसा कि विहित किया जाए ऐसे अन्य कृत्य करना ।

१६. संबंधित प्राधिकरणों द्वारा सुसंगत विधि के उपबंधों के अधीन, के निरीक्षण निरूद्देय चयन पर आधारित यथासाध्य संयुक्त रूप में आयोजित की जायेगी । निरीक्षणों का सुव्यवस्थिकरण ।

व्यय । **१७.** (१) महाराष्ट्र सरकार का उद्योग निदेशालय, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक व्यय उपगत करेगा ।

(२) पर्यवेक्षी समिति और सशक्त समिति से प्राप्त लागत, व्यय या वित्तीय विवक्षाओं आदि से संबंधित किन्ही ऐसे निदेशनों समेत निदेशन, बजट में पर्याप्त उपबंध बनाने द्वारा उद्योग निदेशालय द्वारा सम्यक पूरे किए जायेंगे ।

समय सीमायें । **१८.** (१) पर्यवेक्षी समिति और सशक्त समिति, जैसा कि विहित किया जाए ऐसी समय सीमा के भीतर, इस अध्यादेश के अधीन और तद्धीन बनाए नियमों के अधीन उनकी शक्तियों का प्रयोग करेगी तथा उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेगी ।

(२) नोडल अभिकरण, या सक्षम प्राधिकरण या सशक्त समिति किसी उद्यमि, विनिधानकर्ता या किसी व्यक्ति द्वारा बढ़ते प्रश्नों का जैसा कि विहित किया जाए ऐसे समय के भीतर जवाब देगी।

फीस उद्ग्रहीत करने की शक्ति। **१९.** नोडल अभिकरण एकल खिडकी प्रणाली के जरिए उपलब्ध की जानेवाली सेवाओं के लिए जैसा कि विहित किया जाए ऐसी फीस ले सकेगा ।

ऑनलाईन विझार्ड मॉड्युल। **२०.** (१) नोडल अभिकरण, राज्य में, औद्योगिक वाणिज्यिक, या कारोबार से संबंधित उपक्रम की अनुमति जो स्थापित करने, प्रतिष्ठित करने या परिचालित के लिए आवश्यक है के प्रस्तुतीकरण में उद्यमी या विनिधानकर्ता के सहायता करने के लिए एक व्यापक ऑनलाईन विझार्ड मॉड्युल प्रारूपित और विकसित करेगा ।

(२) विझार्ड मॉड्युल, उद्यमियों या निवेशकों से कतिपय आगम जैसे कि औद्योगिक उपक्रम के प्रकार, कर्मचारियोंकी संख्या, स्थान आदि का स्वीकार करने के लिए सुसज्जित होगा ।

(३) विझार्ड मॉड्युल, उद्यमियों या निवेशकों द्वारा जानकारी के लिए जैसा कि आवश्यक हो, अनुमतियाँ और उनसे संबंधित अधिसूचना के लिए आवेदन प्रारूप की लिंक का उपबंध करेगा ।

(४) संबंधित विभाग या प्राधिकरण, समय-समय में विझार्ड मॉड्युल के अधीन सभी विद्यमान अनुमतियों को शामिल करने के लिए प्रयास करना ।

(५) संबंधित विभाग या प्राधिकरण जैसा कि विहित किया जाए ऐसी समय सीमा के भीतर विझार्ड मॉड्युल के भाग के रूप में शामिल होनेवाली अतिरिक्त नई अनुमति पर जानकारी का उपबंध करना ।

प्रारुप नीतियों नियमों, और विनियमों पर लोक परामर्श। **२१.** (१) नोडल अभिकरण, वैशिष्ट्यों के साथ कोई नीतियों, नियमों और विनियमों के पारुप की प्रकाशन करने के लिए ऐसे प्रारुपों पर लोक टिप्पणियाँ या प्रतिपुष्टि का स्वीकार करने के लिए ऑनलाईन उपबंध बना सकेगी।

(२) संबंधित प्राधिकरण, प्रारूप नीतियों, नियमों, विनियमों के प्रकाशन के लिए और ऐसी नीतियों, नियमों, विनियमों पर लोक टिप्पणियाँ या प्रतिपृष्टि के सम्यक विचारार्थ एकल खिडकी प्रणाली का उपयोग किया जा सकेगा।

(३) संबंधित प्राधिकरण को, ऐसी नीतियों, नियमों और विनियमों की जरुरत उद्देश्यों के साथ या प्रस्तावित नए या संशोधित नीतियों, नियमों और विनियमों के प्रस्ताव भी प्रदर्शित कर सकेगी जिससे ऐसी प्रस्तावित निती, नियमण और विनियम कारोबार या उद्योग पर बोझ कम होगा।

गोपनीयता। **२२.** सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण तद्धीन किसी कृत्यकारियों समेत अभिकरण या प्राधिकरण का कोई ऐसे उद्यमी या निवेशक के सहमति के बिना उद्यमीयों, निवेशक की बौध्दिक संपदा की कोई जानकारी कोई अन्य विनिधानकर्ता को या सम्य्क प्राधिकृत न किए गए व्यक्ति से प्रकट नहीं की जायेगी।

निदेशन देने की शक्तियाँ। **२३.** राज्य सरकार, समय समय से, इस अधिनियम के उद्देश्यों के कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए जिसे आवश्यक या इष्टकर समझा जाए ऐसे नीति मामलों के संबंध में सशक्त समिति को ऐसे सामान्य या विशेष निदेशन जारी कर सकेगी और सशक्त समिति ऐसे निदेशनों का अनुपालन करने और उसपर कार्य करने के लिऐ बाध्दकारी होगी।

परिवर्ती उपबंध। **२४.** इस अधिनियम के उपबंध ऐसे सभी प्रस्तावों पर विनिधान प्रस्तावों पर लागू होंगे जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को सरकार या उसकी एजेन्सियों प्राधिकारियों या उपक्रमों में से किसी के विचाराधीन रहे है, यदि सम्बन्धित विनिधानकर्ता और रीति या जो इस में नोडल एजन्सी को आवेदन प्रस्तुत करके ऐसा विकल्प देता है।

२५. इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी भी राज्य की अन्य विधि में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होने पर भी, अध्यारोही प्रभाव रखेंगी। अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना।

२६. राज्य सशक्त समिति या जिला सशक्त समिति के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों या ऐसी समिति के निदेश के अधीन कार्य करने वाले सरकार के किसी कर्मचारी के विरुद्ध ऐसी किती बात के संबंध में कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाहियां नहीं होंगी जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किन्ही नियमों के अधीन सद्‌भावपूर्वक की जाये या की जाने के लिए आशयित हो। सद्‌भावपूर्वक की गयी कारवाई के लिए संरक्षण।

२७. (१) सरकार, साधारणतया इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी। नियम बनाने की शक्ति।

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व, राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिए तो नियम, अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से केवल ऐसे परिवर्तित रूपमें हों प्रभावी होगा, या, यथास्थिति, निष्प्रभावी हो जायेगा ; तथापि, ऐसा कोई परिवर्तन या बातिलिकरण, उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात या विलुप्ति की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी ।

२८. (१) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो सरकार, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो उसे ऐसी कठिनाई का निराकरण करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों : कठिनाई के निराकरण की शक्ति।

परंतु, इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक दो वर्षों की अवधि अवसित होने के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं बनाया जायेगा ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश उसके बजाए जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधानमण्डल के दोनों सदन के समक्ष रखा जायेगा।

सन् २०२३ का महा. अध्या. क्र. ४। **२९.** (१) महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार और निवेशन सरलीकरण अध्यादेश, २०२३ एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है । सन् २०२३ का महा. अध्यादेश, क्र. ४ का निरसन तथा व्यावृत्ति।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम के अधीन कृत, की गई, या यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगा ।

उद्देश्यों और कारणोंका वक्तव्य।

उद्योग और सेवा क्षेत्रों की शीघ्र गति से वृद्धि होने के कारण संपूर्ण कारोबार पारिस्थितीक तंत्र में सरकार की भूमिका में बदलाव आ गया है। सरकार ने, केवल एक विनियामक के रूप में कार्य करना अपेक्षित नहीं है तो पारिस्थितिक विकासक के रूप में कार्य करना भी अपेक्षित है।

२. राज्य में, निवेशन को सुलभ बनाने के उद्देश्य में, महाराष्ट्र सरकार ने, सन् २०१४ में, निवेशकों में शिकायतों के प्रतितोष करने के लिए महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार और निवेशन सुलभता कक्ष (मैत्री) की प्रतिष्ठापना की है। महाराष्ट्र सरकार ने, राज्य एकल खिडकी प्रणाली के मैत्री के रूप में रुपांतरित किया है।

३. एकल खिडकी प्रणाली के रूप में प्रभावी कृत्य के उद्देश्य में, **मैत्री** को अतिरिक्त शक्तियों के साथ सशक्त करने की जरूरत है। एक मजबूत एकल खिडकी प्रणाली की संस्थापना अनेक लाभ प्राप्त कराती है। राज्य में निवेशकों और उद्यमि का प्रथम वातावरण का सृजन केवल राज्य को आर्थिक प्रेरणा नहीं देता साथ ही साथ देशांतर्गत और विदेश के निवेशन के लिए राज्य एक प्रथम पसंद का स्थान बनने की अलग से सुनिश्चिती से विभिन्न क्षेत्रों की और नौकरियों का सृजन करने में मदद करता है, अतः सरकार, विभिन्न विधियों के अधीन उद्योग की स्थापना और परिचालन के लिए आवश्यक अनुमतियाँ, अनुमोदन, निकासियों और अनापत्ति प्रमाणपत्रों को जारी करने से संबंधित सेवाओं के परिदान के लिए एक प्रभावी एकल खिडकी प्रणाली का सृजन करने के प्रयोजनों के लिए एक नया विधि अधिनियमित करना इष्टकर समझती है।

भारत सरकार ने हाल ही में पूरे देश में कारोबार चलाने में सुलभता लाने की सुनिश्चिति के उद्देश्यों के साथ राष्ट्रीय एकल खिडकी प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) का प्रक्षेपण किया है। **मैत्री** केंद्र और राज्य पोर्टल के बीच प्रभावी अनुबंधों की सुनिश्चिति द्वारा इस संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयास पूरे होने में मदद मिलेगी।

४. प्रभावी एकल खिडकी प्रणाली के सृजन के प्रयोजनों के लिये एक नई विधि अधिनियमित करने के लिये उक्त समान विधेयक, विधानसभा विधेयक क्र. ४ सन् २०२३ के रूप में महाराष्ट्र विधानसभा में पुर:स्थापित किया गया था । उक्त विधेयक ३ मार्च २०२३ को महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। और तत्पश्चात् महाराष्ट्र विधानपरिषद को अन्तरित किया गया था ।

सरकार, उक्त विधेयक में कतिपय उपांतरण करना आवश्यक समझती है जिससे १३ मार्च २०२३ को महाराष्ट्र विधानपरिषद से वापस लिया गया था। तद्नुसार, विधेयक में आवश्यक परिवर्तन किये गये है।

५. प्रस्तावित विधि की प्रमुख विशेषताएँ यथा निम्न हैं :—

(एक) यह उपबंध करना की **मैत्री**, महाराष्ट्र राज्य में एकल खिडकी प्रणाली के लिए नोडल अभिकरण होगा।

(दो) सुसंगत विधि के अधीन आवश्यक कोई अनुमति के जरिए एकल खिडकी प्रणाली को इलेक्ट्रॉनिक रूप में आवेदन करने के लिए उपबंध करना ;

(तीन) **मैत्री** के कार्य का पर्यवेक्षण करना, ऐसे आवेदनों पर विनिर्णय लेना और निपटान करना जो विनिर्दिष्ट समय के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निपटान नहीं किए गये है। आवेदनों के शिकायतों का सुलझानें के आदि, के लिए अध्यक्ष के रूप में विकास आयुक्त से मिलकर बनी सशक्त समिति के गठन के लिए उपबंध करना ;

(चार) सशक्त समिति द्वारा निर्देशित प्रस्तावों का परीक्षण करने, कारोबार सुलभता से चलाने के संबंध में किसी मुद्दों पर निदेशन देने, संबंधित प्राधिकारियों को नीति सुझाव देने आदि, के लिए अध्यक्ष के रूप सचिव (उद्योग) से बनी पर्यवेक्षी समिति के गठन के लिए उपबंध करना ;

(पाँच) सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के उपबंधों के अधीन निरीक्षण, यथासाध्य, संयुक्त रुप से आयोजित यादृच्छिक चयन पर आधारित करने के लिए उपबंध करना ;

(छह) राज्य में उद्योग की प्रतिष्ठापना और विकास करने के लिए उद्यमी या निवेशक को सहायता करने के लिए व्यापक ऑनलाईन विझर्ड मॉड्यूल की संकल्पना के लिए उपबंध करना।

६. महाराष्ट्र राज्य एकल खिडकी प्रणाली के लिए एक नोडल अभिकरण **मैत्री** के ज़रिए महाराष्ट्र राज्य में अपने उद्योग प्रतिष्ठापित करना चाहनेवाले सभी निवेशकों और उद्यमीयों को सुचारू एकल खिडकी प्रणाली के प्रस्ताव देने द्वारा उनका कारोबार सुलभता से चलाने के लिए एक स्तंभ स्थिति के रूप में सक्षम बनेगा।

७. चूँकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थी जिनके कारण उन्हे उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, एक विधि बनाने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; अतः महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार और निवेशन सरलीकरण अध्यादेश २०२३ (सन् २०२३ का महा. अध्यादेश क्रमांक ४) ३ जुलाई २०२३ को प्रख्यापित किया गया था ।

८. प्रस्तुत विधेयक का आशय उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना है ।

मुंबई, **उदय सामंत,**

दिनांकित १७ जुलाई, २०२३ । उद्योग मंत्री ।

प्रत्यायुक्त विधान संबंधी ज्ञापन।

प्रस्तुत विधेयक में, विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए निम्न प्रस्ताव अंतर्ग्रस्त हैं, अर्थात् :—

खण्ड ३.—इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार को,—

(क) उप-खण्ड (१) के अधीन, जिसके लिए एकल खिडकी प्रणाली के ज़रिए आवेदन किया जायेगा के सुसंगत विधि के अधीन आवश्यक अनुमतियाँ **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करने की, शक्ति प्रदान की गई है।

(ख) उप-खण्ड (२) के अनुसार उप-खण्ड (१) के अधीन किए गए आवेदन के साथ होनेवाली प्रक्रिया फीस नियमों द्वारा विहित करने की शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड ६.—इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार को,—

(क) उप-खण्ड (१) के अधीन सशक्त समिति के, उसके अध्यक्ष से अन्यथा सदस्यों को नियमों द्वारा विहित करने की शक्ति प्रदान की गई है ;

(ख) उप-खण्ड (२) के अधीन सशक्त समिति की बैठक आयोजित करने का समय तथा स्थान और कारोबार के संव्यवहार को अपनाई जानेवाली प्रक्रिया नियमों द्वारा विहित करने की शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड ७ (ङ).—इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार को, खण्ड ७ में विनिर्दिष्ट किए है से अन्यथा सशक्त समिति की, शक्तियाँ नियमों द्वारा विहित करने की शक्ति प्रदान की गई हैं।

खण्ड ८ (१)(ज).—इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार को, खण्ड ८(१) में विनिर्दिष्ट से अन्य सशक्त समिति की वे कृत्य नियमों द्वारा विहित करने की शक्तियाँ प्रदान की गई है।

खण्ड १०.—इस खण्ड के अधीन राज्य सरकार को,—

(क) उप-खण्ड (१) के अधीन पर्यवेक्षी समिति के अध्यक्ष से अन्यथा वे सदस्यों को नियमों द्वारा विहित करने की शक्ति प्रदान की गई है ;

(ख) उप-खण्ड (२) के अधीन, पर्यवेक्षी समिति की बैठक आयोजित करने का समय और स्थान तथा कारोबार के संव्यवहार के लिए अपनाई जानेवाली प्रक्रिया नियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड ११ (ग).—इस खण्ड के अधीन, खंड ११ में विनिर्दिष्ट से अन्य पर्यवेक्षी समिति की वे शक्तियाँ नियमों द्वारा विहित करने की शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड १२ (घ).—इस खण्ड के अधीन पर्यवेक्षी समिति के खण्ड १२ में विनिर्दिष्ट से अन्य शक्तियाँ नियमों द्वारा विहित करने की शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड १५ (ढ).—इस खण्ड के अधीन, खण्ड १५ में विनिर्दिष्ट से अन्य नोडल अभिकरण के कृत्य नियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति राज्य सरकार को प्रदान की गई है।

खण्ड १८.—इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार को,

(क) उप-खण्ड (१) के अधीन, पर्यवेक्षी समिति और सशक्त समिति द्वार, इस अधिनियम के अधीन तथा तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का निर्वहन करने की समय सीमा नियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति प्रदान की गई है ;

(ख) उप-खण्ड (२) के अधीन, किसी उद्यमी या निवेक्षक या किसी व्यक्ति द्वारा उद्भूत प्रश्नों को नोडल अभिकरण या सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिसाद देने की समय सीमा नियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड १९.—इस खण्ड के अधीन, एकल खिडकी प्रणाली के ज़रिए उपलब्ध की जानेवाली सेवाओं के लिए की फीस नियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति राज्य सरकार को प्रदान की गई है।

खण्ड २० (५).—इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार को, संबंधित विभाग या प्राधिकरण द्वारा विझार्ड मॉड्यूल के भाग के रूप में समावेश की जानेवाली नई अनुमति पर अतिरिक्त जानकारी का उपबंध करने की समय सीमा नियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड २३.—इस खण्ड के अधीन, इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए जिसे वह आवश्यक या इष्टकर समझे, नीति मामलों के संबंध में सशक्त समिति को सामान्य या विशेष निदेशन जारी करने की, शक्ति राज्य सरकार को प्रदान की गई है।

खण्ड २७.—इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार को इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा नियम बनाने की, शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड २८.—इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार को, कोई कठिनाई जो इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में उद्भूत हो सके, प्रारम्भण के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के भीतर, निराकरण करने के लिए **राजपत्र** में प्रकाशित कोई आदेश जारी करने की, शक्ति प्रदान की गई है।

२. विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए उपरोल्लिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरूप के है।

वित्तीय ज्ञापन।

प्रस्तुत विधेयक के खण्ड ३, ६, १० और २० राज्य में नए औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने या कोई विद्यमान औद्योगिक उपक्रम के निरंतन परिचालन के लिए एकल खिडकी प्रणाली के जरिए इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में किसी उद्यमि या निवेशक द्वारा किसी आवेदन को दाखिल करने के लिए और राज्य में क्रमशः उद्योग, वाणिज्यिक या कारोबार से संबंधित स्थापित, प्रतिष्ठित करना या परिचालित करने के लिए आवश्यक अनुमति की पहचान में उद्यमी या निवशकों को सहाय करने के लिए सशक्त समिति का गठन, पर्यवेक्षी समिति का गठन और **मैत्री** द्वारा एक व्यापक ऑनलाईन विझार्ड मॉड्युल की संकल्पना करना है के लिये उपबंध करता है।

इसलिए, राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम के रूप मे उसकी अधिनियमिति पर राज्य की समेकित निधि में से प्रतिवर्ष लगभग पाँच करोड़ रुपयों का अनावर्ती व्यय और आठ करोड़ रुपयों का आवर्ती व्यय शामिल होगा।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

भारत संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल की अनुशंसा

(महाराष्ट्र शासन, विधी व न्याय विभाग, आदेश की प्रत)

भारत संविधान के अनुच्छेद २०७ के खंड (३) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार और निवेशन सरलीकरण विधेयक, २०२३ ई. पर पुर:स्थापना करने की अनुशंसा करते है ।

विधान भवन,
मुंबई,
दिनांकित १७ जुलाई, २०२३।

जितेंद्र भोळे,
सचिव (१) (कार्यभार),
महाराष्ट्र विधानसभा ।

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई